न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–111/2017/टोंक (2017/00132)

1. दुर्गालाल पुत्र सुज्या ब्राह्मण, निवासी ग्राम हरिपुरा, तह0 पीपलू, हाल नि0 ग्राम गोलाहेडा, तह0 टोडारायसिंह, जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. हनुमान पुत्र लक्ष्मीनारायण दत्तक पुत्र गेंदी, नि0 ग्राम गोलाहेडा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टोडारायसिंह, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, मालपुरा दिनांक 12.12.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 246/2017.

उपस्थितः–

1. श्री मनीष व्यास, वकील अपीलांट ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांक :– 27.09.2018

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, मालपुरा, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम टोडारायसिंह, जिला टोंक में नामांतकरण संख्या 53 खातेदार मु0 गुलाबो की मृत्यु होने पर तहसीलदार, टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 8.1.2002 को गेंदी एवं मनभर पुत्रियान मु0 गुलाबो पत्नि बेंजा ब्राह्मण के नाम स्वीकार किया गया । उक्त नामांतकरण आदेश से व्यथित होकर हनुमान पुत्र लक्ष्मीनारायण ने उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के न्यायालय में दायर अपील को उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह ने निर्णय दिनांक 27.5.2004 द्वारा नामांतकरण संख्या 53 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः तहसीलदार, टोडारायसिंह को प्रतिप्रेषित किया है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के आदेश के विरूद्ध एक अपील माननीय संभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में पेश की गई जो निर्णय दिनाक 19.7.2008 द्वारा स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी,

टोडारायसिंह के आदेश दिनांक 27.5.2004 को निरस्त कर दिया गया । इस निर्णय के विरूद्ध मनभर द्वारा मान0 राजस्व मण्डल में एक निगरानी प्रस्तुत की गई जो मण्डल के निर्णय दिनांक 2.5.2011 द्वारा स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के आदेश दिनांक 27.5.2004 को बहाल रखा गया । तत्पश्चात् विद्वान जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक 14.3.2015 से पत्रावली तहसीलदार, टोडारायसिंह से तहसीलदार, मालपुरा को स्थानांतरित की गई । तहसीलदार, मालपुरा ने प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर निर्णय दिनांक 12.12.2017 द्वारा प्रकरण में नामांतकरण संख्या 53 में से मनभर का नाम विलोपित कर अकेले मु0 गेंदी के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र पर बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष श्रीमती मनभर पक्षकार थी जिसका देहांत दिनांक 8.12.2017 को हो चुका है । श्रीमती मनभर पत्नि सूज्या ने दिनांक 12.1.2006 को रजिस्टर्ड वसीयत से अपनी चल–अचल सम्पति का वारिस प्रार्थी को घोषित किया है । अपीलांट मृतक के वारिस की हैसियत से उसकी चल–अचल सम्पति में हक व स्वत्व रखता है एवं आवश्यक पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4- प्रकरण में गुणावगुण पर अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि तहसीलदार, मालपुरा ने अपने निर्णय में लिखा है कि नामांकरण संख्या 53 गेंदी पुत्री गुलाबी पत्नि बेंजा के नाम दर्ज किया जावे जबकि अभिलेख पर यह भी तथ्य उपलब्ध है कि गेंदी की मृत्यु हो चुकी है ऐसी स्थिति में मृतक के पक्ष में किया गया आदेश काबिल निरस्तनीय है । तसीलदार के समक्ष मनभर पत्नि सूज्या का देहांत हो चुका था जिसके संबंध में मनभर के कायम–मुकाम की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे अधी0न्याया0 ने नजरअंदाज कर मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि नामांतकरण संख्या 53 बाबत् प्रकरण मा0 राजस्व मण्डल तक गया है जिसमें मा0 राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 2.5.2011 में आदेश दिया है कि नमांातकरण संख्या 53 पंजीकृत विलेख के आधार पर नहीं खोला गया है बल्कि विरासत के आधार पर खोला गया है, परन्तु तहसीलदार, मालपुरा ने बक्शीशनामा को सिद्ध मानकर नामांतकरण संख्या 53 में से मनभर का नाम विलोपित कर गेंदी का नाम दर्ज करने के ओदश दिया है जो मा0 मण्डल की मंशा के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को

आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि खातेदार बेंजा की सम्पति बाबत् गेंदी व मनभर के मध्य विवाद है । संवत् 2058 से 2061 की जमाबंदी से यह तथ्य सामने आया है कि गुलाबी के गेंदी व मनभर पुत्रियां है, यही तथ्य नामांतकरण संख्या 631 दिनांक 14.5.2002 से उजागर होता है तथा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में भी साक्ष्य से यह तथ्य सिद्ध होना शेष है कि मनभर गेंदी की बहन है एवं गुलाबी की पुत्री है ऐसी स्थिति में तब तक समस्त चल व अचल सम्पति बाबत् यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक था किन्तु तहसीलदार, मालपुरा ने विवादित आराजियात के संबंध में अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । तहसीलदार, पीपलू ने दिनांक 22.1.2013 को इस तथ्य को उजागर किया था कि गुलाबी की दो पुत्रियां गेंदी व मनभर है परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 12.12.2017 को अपास्त किया जावे । xx

5- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि तहसीलदार, मालपुरा का निर्णय विधिसम्मत् है । मृतक खातेदार गुलाबी पत्नि बेंजा ने अपने जीवनकाल में एक पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया था जिसमें यह स्वीकार किया है कि उसके एक मात्र जायंदा संतान पुत्री गेंदी है तथा रेस्पो0 संख्या 1 हनुमान गेंदी का गोदपुत्र है । मनभर मृतक गुलाबी की पुत्री नहीं है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि मृतक खातेदार गुलाबी के नाम दो खाते खाता संख्या 30 व खाता संख्या 39 दर्ज थे । खातेदार गुलाबी की दिनांक 30.4.1995 को मृत्यु होने पर खाता संख्या 30 बाबत् नामांतकरणसंख्या 20 पटवारी हल्का द्वारा गेंदी के नाम भरा जिसे तहसीलदार, टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 1.6.2000 को स्वीकार किया गया किन्तु दूसरे खाता संख्या 39 के संबंध में नामांतकरण संख्या 53 गेंदी व मनभर के नाम दर्ज कर दिया जो गलत है क्योंकि मनभर मुतक खातेदार गुलाबी की पुत्री नहीं है । नामांतकरण संख्या 53 में मनभर का नाम बाद में जोड़ा गया है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया गुलाबी द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा में यह अंकित किया है कि उसके एकमात्र संतान गेंदी है इसलिये वसीयतकर्ता की स्वीकारोक्ति से बढ़कर और कोई अन्य साक्ष्य नहीं हो सकती है । उक्त रजिस्टर्ड वसीयत नामे की अपीलांट को प्रारंभ से जानकारी थी इसके बावजूद वसीयतनामे को कभी भी चुनौती नहीं दी गई है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों को विस्तृत विवेचन, विश्लेष उपरांत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे । xx

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । मृतक मनभर द्वारा

अपीलांट के पक्ष में दिनांक 12.1.2006 को रजिस्टर्ड वसीयत अपनी चल–अचल सम्पति बाबत् निष्पादित की है तथा मनभर का देहांत दिनांक 8.12.2017 को हो चुका है । मृतक मनभर की मृत्यु उपरांत मनभर के स्थान पर उसकी चल अचल सम्पति बाबत् अपीलाधीन निर्णय से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार होने से हम अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

7- प्रकरण में गुणावगुण पर हमनें पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार गुलाबी पत्नि बेंजा के नाम खाता संख्या 30 व 39 की आराजियात दर्ज थी । खातेदार गुलाबी की मृत्यु दिनांक 30.4.1995 को होने के उपरांत खाता संख्या 39 की आराजियात बाबत् नामांतकरण संख्या 20 दिनांक 1.6.2000 को गेंदी के नाम तहसीलदार, टोडारायसिंह ने तस्दीक किया है । इसके उपरांत खाता संख्या 39 की आराजियात बाबत् नामांतकरण संख्या 53 गेंदी व मनभर को मृतक गुलाबी की पुत्रियां बताते हुए दोनो के नाम दर्ज किया गया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में विवाद खाता संख्या 39 की आराजियात के संबंध में पारित नामातकरण संख्या 53 को लेकर है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खाता संख्या 39 की आराजियात बाबत् स्वीकृत नामांतकरण संख्या 20 दिनांक 1.6.2000 को मनभर द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से पूर्णतया सहमत है कि जब ग्राम गोलाहेड़ा तहसील टोडारायसिंह के नामांतकरण संख्या 20 के द्वारा दिनांक 1.6.2000 को मु0 गुलाबी बेवा बेंजा ब्राहमण की विरासत उसकी एकमात्र पुत्री गेन्दी के नाम स्वीकृत हो चुकी है तो ग्राम गोलाहेड़ा के ही पश्चातवर्ती नामांतकरण संख्या 53 में मृतक खातेदार गुलाबी बेवा बेंजा की भूमि का नामांतकरण दो पुत्रियों गेन्दी व मनभर के नाम किस प्रकार दर्ज कर निर्णित किया गया, यह तथ्य पूर्णतया संदेहास्पद एवं जांच का विषय है । जब मृतक खातेदार मु0 गुलाबी की विरासत एक बार तय हो चुकी है तो उसे बिना किसी सक्षम न्यायालय के विपरीत आदेश के नहीं माने जाने का कोई ठोस कारण पत्रावली पर उपलबध नहीं होने के संबंध में किया गया निष्कर्ष भी उचित है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मु0 गुलाबी बेवा बेंजा ने सन् 1973 में गेन्दी के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित कराया था जिसमें उसने स्वंय ने यह अंकित किया है कि उसकी एकमात्र वारिस पुत्री गेन्दी है । इस प्रकार मृतक स्वंय की स्वीकारोक्ति से बढ़कर और कोई साक्ष्य नहीं माना जा सकता है । दौराने बहस विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने सिविल न्यायालय, टोडारायसिंह, जिला टोंक के न्यायालय द्वारा बउनवान मनभर बनाम हनुमान में पारित निर्णय दिनांक 13.7.2018 की प्रति पेश की जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मनभर ने मृतक खातेदार

गुलाबी की वारिस होने के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद संख्या 6/2004 बउनवान मनभर बनाम हनुमान पेश किया था । उक्त वाद में मा0 सिविल न्यायाधीश, टोडारायसिंह ने अपने निर्णय दिनांक 13.7.2018 द्वारा मनभर को मृतक गुलाबी की पुत्री होना नहीं माना है । मा0 सिविल न्यायीधश, टोडारायसिंह के उपरोक्त निर्णय से भी यह पूर्णतया स्पष्ट है कि मनभर मृतक गुलाबी की पुत्री तथा गेन्दी की बहन नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलबध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत नामांतकरण संख्या 53 मु0 गलाबी बेवा बेंजा के स्थान पर उसकी एकमात्र पुत्री गेन्दी के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश पारित किये है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है ।

8- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा तहसीलदार, टोडारायसिंह, जिला टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 111/2017 (2017/00132) बउनवानी दुर्गालाल बनाम हनुमान को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, टोडारायसिंह, जिला टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 246/2017 बउनवान हनुमान बनाम श्रीमती मनभर में पारित निर्णय दिनांक 12.12. 2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 27.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर